रजिस्ट्री सं० डी (डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 278] नई दिल्ली, बुधवार, जून 16, 1976/ज्येष्ठ 26, 1898

No. 278] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 16, 1976/JYAISTHA 26, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June 1976

S.O. 417(E).—In pursuance of Explanation to the First Schedule to the Produce Cess Act, 1966 (15 of 1966) read with sub-section (2) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in continuation of the Notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture) S.O. No. 269(E), dated the 21st June, 1975, the Central Government is pleased to retain, with effect from 1st July, 1976, the tariff value in respect of Cashew Kernal at Rs. 1,300 per quintal for the year 1976-77.

[No. F. 12014/1/76-Eco.Py.]

N. A. AGHA, Addl. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 1976

का० आ० 417 (अ).—केन्द्रीय अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्पाद उपकर अधिनियम, 1966 (1966 का 15) की प्रथम अनुसूची के स्पष्टीकरण के अनुसरण में तथा भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 269 (ई), ता० 21 जून, 1975 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार 1 जुलाई, 1976 से वर्ष 1976-77 के लिए काजू गिरी की बाबत टैरिफ मूल्य 1300 रु० प्रति क्विंटल प्रतिधारित करती है ।

[[सं० एफ० 12014/1/76-अर्थ नीति]

एन० ए० आगा, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976